

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

दिनांक: 27-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
778	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.131 (प्रश्न क्रं.7310) दि. 27-03-2017 (श्री हरदीप सिंह डंग)	मंदसौर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र नवीन सत्यापित परिवारों को सम्मिलित कर पात्रता पर्ची जारी किया जाना एवं अपात्र परिवारों को हटाया जाना।	पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित परिवारों के डी-डुप्लीकेशन की कार्यवाही प्रचलित है।		
779	अतारांकित प्रश्न सं.26 (प्रश्न क्रं.4227) दि. 27-03-2017 (श्री कमलेश्वर पटेल)	सीधी एवं सिंगरौली जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र नवीन सत्यापित परिवारों को सम्मिलित कर पात्रता पर्ची जारी किया जाना एवं अपात्र परिवारों को हटाया जाना।	पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित परिवारों के डी-डुप्लीकेशन की कार्यवाही प्रचलित है उसके उपरांत अपात्र परिवारों को हटाने पर निर्धारित खाद्यान्न आवंटन की सीमा के अंतर्गत ही नवीन सत्यापित परिवारों को सम्मिलित कर पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी।		
780	अतारांकित प्रश्न सं.175 (प्रश्न क्रं.7483) दि. 27-03-2017 (श्री बाला बच्चन)	बड़वानी एवं खरगोन जिले में पात्र नवीन सत्यापित परिवारों को सम्मिलित कर पात्रता पर्ची जारी किया जाना एवं अपात्र परिवारों को हटाया जाना।	पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित परिवारों के डी-डुप्लीकेशन की कार्यवाही प्रचलित है उसके उपरांत अपात्र परिवारों को हटाने पर निर्धारित खाद्यान्न आवंटन की सीमा के अंतर्गत ही नवीन सत्यापित परिवारों को सम्मिलित कर पात्रता-पर्ची जारी की जा सकेगी।		
781	अतारांकित प्रश्न सं.180 (प्रश्न क्रं.7494) दि. 27-03-2017 (श्री नारायण त्रिपाठी)	सतना जिले के विकासखण्ड मैहर अंतर्गत पात्र नवीन सत्यापित परिवारों को सम्मिलित कर पात्रता पर्ची जारी किया जाना एवं अपात्र परिवारों को हटाया जाना।	पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित परिवारों के डी-डुप्लीकेशन की कार्यवाही प्रचलित है उसके उपरांत अपात्र परिवारों को हटाने पर निर्धारित खाद्यान्न आवंटन की सीमा के अंतर्गत ही नवीन सत्यापित परिवारों को सम्मिलित कर पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

गृह विभाग

दिनांक: 27-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
782	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.3204) दि. 27-03-2017 (श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य))	इंदौर जिले में पाकिस्तान से भारत आए सिंधी समाज के नागरिकों को भारत की नागरिकता दिए जाने हेतु शेष लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाना।	शेष प्रकरण प्रक्रियाधीन है।		
783	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.83 (प्रश्न क्रं.6512) दि. 27-03-2017 (श्री रामनिवास रावत)	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय भोपाल में दिनांक 05 एवं 06 नवम्बर 2015 की रात्रि को आगजनी की घटना की जांच समय-सीमा में की जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाना।	(1) आगजनी की जांच जारी है, जांच में आये साक्ष्य एवं तथ्यों के अनुसार विधिवत् कार्यवाही की जावेगी। (2) प्रकरण जांच में है। जांच में आये साक्ष्य के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।		
784	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.111 (प्रश्न क्रं.7236) दि. 27-03-2017 (श्री मोती कश्यप)	कटनी जिले के थाना उमरिया पान में दर्ज मर्ग क्रमांक 05/13 की जांच समय-सीमा में की जाना।	मर्ग क्रमांक 05/13 धारा 174 जा.फौ. वर्तमान में जांच में है।		
785	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.137 (प्रश्न क्रं.7344) दि. 27-03-2017 (श्री आरिफ अकील)	शिया दाउदी जमात (ट्रस्ट) चौकी इमामबाड़ा भोपाल की प्रबंधकारिणी के सदस्यों द्वारा आर्थिक अनियमितता किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	ई.ओ.डब्ल्यू. में पंजीबद्ध प्रारंभिक जांच क्रमांक 31/16 वर्तमान में जांचाधीन है। जांच पूर्ण होने के उपरांत विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।		
786	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.169 (प्रश्न क्रं.7510) दि. 27-03-2017 (श्री जालम सिंह पटेल)	थाना विजयनगर, जिला जबलपुर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 48/16 की विवेचना समय-सीमा में की जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की जाना।	(1) प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। विवेचना में आये साक्ष्य अनुसार विधि अनुरूप कार्यवाही की जावेगी। (2) प्रकरण विवेचनाधीन है। विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

दिनांक: 27-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
787	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्र.7208) दि. 27-03-2017 (श्री रमेश पटेल)	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय भोपाल के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को समय-सीमा में डिग्रियां वितरण नहीं किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) जाँच प्रचलन में है । जाँच उपरांत ही गुण-दोष के आधार पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सकेगा । (2) जाँच के निष्कर्ष के आधार पर जवाबदेही तय की जावेगी एवं तदनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । (3) कार्यमुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । जांच उपरांत कार्यवाही की जायेगी ।		
788	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.26 (प्रश्न क्र.3928) दि. 27-03-2017 (श्री शैलेन्द्र जैन)	इंदिरा गांधी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सागर के कारपस फण्ड की डिपॉजिट राशि की एफ.डी.आर. विलंब से लिये जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना ।	जी हों । जांच कर कार्यवाही की जावेगी ।		
789	अतारांकित प्रश्न सं.87 (प्रश्न क्र.6519) दि. 27-03-2017 (श्री रामनिवास रावत)	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय भोपाल के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को समय-सीमा में डिग्रियां वितरण नहीं किये जाने तथा कन्टेनर/लिफाफे का टेण्डर समय पर नहीं किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	जाँच प्रक्रिया प्रचलन में है । जाँच निष्कर्ष के उपरांत ही गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।		
790	अतारांकित प्रश्न सं.160 (प्रश्न क्र.7408) दि. 27-03-2017 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	सिवनी जिले के शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही की जाना ।	प्राप्त शिकायत जाँच अधीन है ।		
791	अतारांकित प्रश्न सं.186 (प्रश्न क्र.7658) दि. 27-03-2017 (श्री सचिन यादव)	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलसचिव डॉ. एस.के.जैन को जारी कारण बताओ सूचना पत्र के पश्चात् प्राप्त प्रति उत्तर के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । जाँच के निष्कर्ष अनुसार निर्णय लिया जायेगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

परिवहन विभाग

दिनांक: 27-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
792	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.73 (प्रश्न क्रं.6263) दि. 27-03-2017 (पं. रमेश दुबे)	प्रदेश के ऑटोमोबाईल विक्रेता/डीलर द्वारा वाहन क्रेताओं से लॉजिस्टिक चार्ज एवं आर.टी.ओ. सर्विस चार्ज अवैध रूप से वसूल किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही की जाना ।	प्राप्त शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

पशुपालन विभाग

दिनांक: 27-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
793	अतारांकित प्रश्न सं.47 (प्रश्न क्रं.5499) दि. 27-03-2017 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	पशु चिकित्सा विभाग अंतर्गत लोक सेवा आयोग से वर्ष 2011 एवं 2013 में चयनित पशु चिकित्सकों की नियुक्ति उपरांत निश्चित समय-सीमा बीत जाने के बाद उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त किया जाना एवं वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना ।	(1) कार्यवाही प्रचलन में है । (2) कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

दिनांक: 27-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
794	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.139 (प्रश्न क्र.7354) दि. 27-03-2017 (श्री नीलेश अवस्थी)	ग्राम पंचायत अभाना जनपद पंचायत मझौली जिला जबलपुर में मत्स्य पालन एवं सिंघाड़ा उत्पादन हेतु नियम विरुद्ध दिये गये पट्टे निरस्त किया जाना ।	तालाबों को पट्टे पर देने संबंधी आदेशों को निरस्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है ।		
795	अतारांकित प्रश्न सं.65 (प्रश्न क्र.5980) दि. 27-03-2017 (श्री मोती कश्यप)	जनसंकल्प 2013 के बिन्दु क्रमांक 05 का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाना ।	प्रश्नाधीन जनसंकल्प 2013 के बिन्दु क्रमांक 5 के जनसंकल्प को क्रियान्वयन हेतु आयुक्त पंचायत राज्य विभाग को लिखा गया है ।		
796	अतारांकित प्रश्न सं.158 (प्रश्न क्र.7393) दि. 27-03-2017 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	रीवा जिले में जलमोहरा जलाशय के समीप फेरीफेटल पोण्ड निर्माण हेतु चयनित भूमि से अवरोध हटाने की कार्यवाही शीघ्र की जाना ।	भूमि से अवरोध हटाने के लिये कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

राजस्व विभाग

दिनांक: 27-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
797	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.41 (प्रश्न क्रं.4943) दि. 27-03-2017 (श्री सतीश मालवीय)	उज्जैन जिले की घट्टिया विधान सभा क्षेत्र के चक ग्राम के पास संचालित सूर्या रिसोर्ट से डायवर्सन की बकाया राशि की वसूली शीघ्र की जाना।	डायवर्सन राशि 22960/- की वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।		
798	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.46 (प्रश्न क्रं.5274) दि. 27-03-2017 (श्री महेश राय)	सागर जिले की विधान सभा क्षेत्र बीना के ग्राम बसाहरी को राजस्व ग्राम शीघ्र घोषित किया जाना।	ग्राम बसाहरी राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।		
799	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.56 (प्रश्न क्रं.5707) दि. 27-03-2017 (श्री चन्दरसिंह सिसौदिया)	मंदसौर जिले की गरोठ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा शीघ्र दिया जाना।	शेष 05 योजनाओं में प्रकरण प्रक्रियाधीन है।		
800	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.152 (प्रश्न क्रं.7421) दि. 27-03-2017 (श्री मनोज कुमार अग्रवाल)	जिला अनूपपुर के कोतमा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नामांतरण, बंटवारे एवं सीमांकन के विवादित लंबित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई कर निराकरण किया जाना।	पक्षकारों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर शीघ्रतापूर्वक निराकरण किया जा रहा है।		
801	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.161 (प्रश्न क्रं.7457) दि. 27-03-2017 (श्री लाखन सिंह यादव)	ग्वालियर जिले के तहसीलदार चिनोर को दिनांक 28.02.2017 को जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदन पत्र क्रमांक 908, 910 एवं 933 की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	जाँच उपरान्त ही निष्कर्ष दिया जा सकता है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
802	अतारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.333) दि. 27-03-2017 (श्री जतन उईके)	छिंदवाडा जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय पाण्डुर्ना में स्वीकृत रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति की जाना ।	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय पाण्डुर्ना में पद स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है ।		
803	अतारांकित प्रश्न सं.108 (प्रश्न क्रं.7070) दि. 27-03-2017 (पं. रमेश दुबे)	छिंदवाडा जिले में पटवारियों के स्वीकृत रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति की जाना ।	रिक्त पटवारी पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रचलित है ।		
804	अतारांकित प्रश्न सं.184 (प्रश्न क्रं.7563) दि. 27-03-2017 (श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी)	खरगोन जिले की तहसील मुख्यालय कसरावद में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार कम्पोजिट भवन का निर्माण किया जाना ।	प्राक्कलन का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जानी है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

दिनांक: 27-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
805	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.3033) दि. 27-03-2017 (डॉ. गोविन्द सिंह)	श्री एम.के.उमरिया सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भिण्ड के जाति प्रमाण पत्र की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	यथाशीघ्र जांच पूर्ण की जायेगी।		
806	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.110 (प्रश्न क्रं.7221) दि. 27-03-2017 (श्री रामलाल रौतेल)	प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य की शिकायत पर गठित जांच दल के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) श्री हीरासिंह धुर्वे तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, श्री आर.पी. अहिरवार तत्कालीन उपयंत्री एवं श्री एस.पी. द्विवेदी, तत्कालीन उपयंत्री के विरुद्ध शासन के पत्र दिनांक 04.03.2017 द्वारा आरोप पत्र जारी किए गए हैं। (2) के.के. गुप्ता, तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही म.प्र. पेंशन नियम 1976 के नियम (9) में विहित प्रावधान अनुसार प्रक्रियाधीन है।		
807	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.121 (प्रश्न क्रं.7266) दि. 27-03-2017 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	अधीक्षण यंत्री, पी.एच.ई. रीवा द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर श्री बी.बी. तिवारी, सहायक ग्रेड-3 के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	जांचोपरांत यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी।		
808	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.124 (प्रश्न क्रं.7285) दि. 27-03-2017 (श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल)	बैतूल जिले की बंद नल-जल योजनाओं को शीघ्र चालू करने हेतु समस्त विभागीय औपचारिकता को शीघ्र पूर्ण कर नल-जल योजना प्रारंभ किया जाना।	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
809	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.164 (प्रश्न क्रं.7468) दि. 27-03-2017 (श्री के. के. श्रीवास्तव)	प्रदेश की पेयजल समस्या के निवारण हेतु विभाग की स्वीकृत योजनाओं हेतु आवश्यक जल आवंटन किया जाना ।	कुछ योजनाओं के जल आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
810	अतारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.3442) दि. 27-03-2017 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले की सुरखी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड मुख्यालय जैसीनगर की जल आवर्धन योजना का कार्य प्रारंभ करने हेतु निविदा प्रक्रिया की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण किया जाना ।	एक माह की समयावधि में टेंडर लगाने की कार्यवाही की जायेगी ।		
811	अतारांकित प्रश्न सं.78 (प्रश्न क्रं.6142) दि. 27-03-2017 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	रायसेन जिले में अहस्तांतरित जमुनिया योजना के विद्युत देयकों का विलोपन किया जाना ।	अहस्तांतरित जमुनिया योजना के संबंध में विभाग द्वारा विद्युत देयक युक्तियुक्त/विलोपित करने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी - मार्च 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

श्रम विभाग

दिनांक: 27-03-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
812	अतारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.5719) दि. 27-03-2017 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर संभागीय कार्यालय में स्वीकृत श्रम निरीक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	श्रम निरीक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कार्यवाही प्रचलित है ।		
813	अतारांकित प्रश्न सं.127 (प्रश्न क्रं.7269) दि. 27-03-2017 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	श्री एस.एस. दीक्षित, डिप्टी कमिश्नर श्रम भोपाल को अतिरिक्त पदों से मुक्त किया जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		